

टाईया बनाम देवा
 किस्म मुकदमा प्रकरण संख्या 06/2018

| | | |
|-------------|----------------------------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|----------------------------------|--|

'टाईया पुत्र मकनानी' की लिखित शिकायत लोकेशन नॉकआउट सं. 52 के अमास दरामद के प्रकाल सितम्बर 2054-2057 के दामाद अमिलेक में जारी की गयी है। 'टाईया पुत्र मकनानी' को कलकी के स्थान पर जारी का नाम 'राइंगा वल्लु मकना' को कलकी के रूप में गलत दर्ज कर दिया गया, जो एक लिपिकीय त्रुटि होने के कारण सही किया जाना आवश्यक है।

किस पर मन्त किया गया नफ़्तमली के अक्लोकन के आधार जारी 'टाईया वल्लु मकना' के स्थान पर 'राइंगा वल्लु मकना' एक लिपिकीय त्रुटि प्राप्त गया, जो फ़ासली में सल्लन सल्लत दस्तमोने ले प्रमाणित होता है। अतः आदेश पड 05 B6LAA स्वीकार योग्य पाया गया।

अतः आदेश पड 05 B6 LRA के स्वीकार किया जाकर तहसील (नगर नुमा) को अवेरिड किया जाता है कि मौजा पूर के नये मफता सं. 190 के आसानी खसरा नं. 27 रकबा 0.26 है, खसरा नं. 28 रकबा (0.23 है), खसरा नं. 29 रकबा 1.06, खसरा नं. 30 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 31 रकबा 0.21 है,

सहायक जज
 जसवन्तपुरा (जालोर)

टाइया

बनाम देवा

किस्म मुकदमा

प्रकरण संख्या

06 / 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर वर अहमकाम हुक्म की र में जारी |
|----------------|--|--|
| | <p>ख.नं. 32 रकबा 0.34 हे, ख.नं. 33 रकबा 0.89 हे, ख.नं. 35 रकबा 0.61 हे, ख.नं. 36 रकबा 0.75 हे, ख.नं. 37 रकबा 0.72 हे, ख.नं. 39 रकबा 0.76 हे में ' राईगा वल्ल मकना ' के स्थान पर ' टाईया वल्ल मकना ' निष्क्रान्त रूप रेकॉर्ड में दर्ज किया जावे।</p> <p>गिरल काल टोपूर तंकर से उक्त हो व दाखिल दफ्तर हो</p> | |

सहायक कलेक्टर
जसवंतपुरा (जातर)